निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 54 / 2019
दायरा दिनांकः—22.08.2019
निर्णय दिनांकः— 13.1.25

उनवान

1. रामप्रसाद आयु 70 वर्ष पुत्र मिश्रीलाल जाति अहीर निवासी ग्राम सेवनखेडी तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. बबलु आयु 45 वर्ष पुत्र हरनामसिंह
2. चेतन आयु 43 वर्ष पुत्र हरनामसिंह
3. मुकेश आयु 40 वर्ष पुत्र हरनामसिंह
4. पवन आयु 20 वर्ष पुत्र हरनामसिंह
5. दौलत बाई आयु 65 वर्ष पत्नि हरनामसिंह
6. गुड्डीबाई आयु 38 वर्ष पत्नि बबलु जातियान अहीर निवासीगण ग्राम सेवनखेडी तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
7. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट0

निर्णय दिनांकः— 13.1.25

अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री राजेश कुमार लोधा — प्रार्थी
2. श्री देवेन्द्र मेहता — अप्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 24 / 11 रकबा 05 बीघा 10 बिस्वा वाके माल सेवनखेड़ी तहसील छबड़ा जिला बारा में अवस्थित है। जिसका इंद्राज भू—अभिलेख वर्तमान जमाबंदी में अंकित है। प्रार्थी को अपने कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग एवं उपभोग करने का वैधानिक अधिकारी है। अप्रार्थी कम 1 ता 6 अपराधी लडाकू—झगडालू प्रवृत्ति के संगठित परिवार के सदस्य है। अप्रार्थीगण 1 ता 6 जबरन बलपूर्वक अवैध रूप से ताकत के बल पर प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग एवं उपभोग में अप्रार्थी कम 1 ता 6 द्वारा बाधा उत्पन्न कर अतिक्रमण करने पर आमादा है। जिसका अप्रार्थीगण को कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है। इसलिए अप्रार्थीगण को उक्त कृत्य करने से रोका जाना अत्यंत आवश्यक व न्यायौचित है।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

नांक 13.07.2019 को अप्रार्थीगण 1 ता 6 घातक हथियारों से लैस होकर जबरन बलपूर्वक अवैध रूप से ताकत के बल पर प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि पर आए व प्रार्थी के साथ गाली–गलौच की तथा उक्त भूमि पर अतिक्रमण करने का असफल प्रयास किया। जिसे प्रार्थी द्वारा बड़ी मुश्किल से रोका गया तो अप्रार्थीगण 1 ता 6 ने प्रार्थी व उसके परिजन को उसकी भूमि पर आने पर उसके हाथ–पैर काटकर जान से खत्म करने तथा भविष्य में जमीन पर कब्जा करने की धमकी दी। प्रार्थी अकेला व्यक्ति है, जबकि अप्रार्थी कम 1 ता 6 बड़े संगठित परिवार से हैं, जो ताकत के बल पर प्रार्थी की उक्त भूमि को अतिक्रमण कर छीनना चाहते हैं। प्रार्थी को उसकी भूमि से बेदखल कर काबिज होना चाहते हैं। जिसका अप्रार्थीगण 1 ता 6 को कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। इसलिए प्रार्थी को यह आशंका उत्पन्न हो गई है कि कभी भी अप्रार्थी कम 1 ता 6 उक्त भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर सकते हैं। इसलिए उक्त कृत्य को रोकने हेतु अप्रार्थीगण को निषेधाज्ञा से पाबंद कराना अत्यंत आवश्यक व न्यायौचित है। मुताबिक धमकी अप्रार्थी कम 1 ता 6 ने उक्त भूमि पर अवैध रूप स अतिक्रमण कर लिया तो प्रार्थी उक्त भूमि की पैदावार से हमेशा के लिए वंचित हो जाएगा और प्रार्थी को समय व धन की हानि होगी और अन्य मुकदमों में उलझना पड़ेगा। जिससे प्रार्थी को अपिरिमित क्षति होगी। जिसकी पूर्ति किसी प्रकार से संभव नहीं होगी। इसलिए प्रार्थी अप्रार्थीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के वैधानिक अधिकारी है।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश नही होने के कारण जवाब बन्द किया गया। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम सेवनखेडी सम्वत् 2071–74 खाता संख्या 134 पेश की गई।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 24/11 रकबा 5.10 बीघा ग्राम सेवनखेडी में स्थित है। प्रार्थी अपने कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि को शान्ति पूर्वक काश्त करता चला आ रहा है अप्रार्थीगण प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि पर जबरन कब्जा करने पर आमादा है जिसका कोई वैधनिक अधिकार नही है अप्रार्थीगण प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि पर जबरन अतिक्रमण कर कब्जा करना चाहतें है प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में है यदि प्रार्थी की भूमि पर अप्रार्थीगण द्वारा जबरन अतिक्रमण कर कब्जा कर लिया तो प्रार्थी को अपरिमित क्षति होगी। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी सेवनखेडी सम्वत् 2071–74 खाता संख्या 134 के अनुसार खसरा नम्बर 24/11 रकबा 5.10 बीघा प्रार्थी रामप्रसाद पुत्र मिश्रीलाल जाति अहीर के खातेदारी में दर्ज है विवादित आराजी पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है अप्रार्थीगण को प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की भूमि पर जबरन कब्जा करने का कोई अधिकार नही है प्रार्थी अप्रार्थीगण को पाबन्द कराने का अधिकारी है प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है तथा सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

प्रार्थी की भूमि पर अप्रार्थीगण द्वारा जबरन कब्जा कर प्रार्थी को बेदखल कर दिया तो र्थी को अपरिमित क्षति होने की पूर्ण सम्भावना है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट स्वीकार किया जाता है अप्रार्थी क्रम 1 ता 6 को मूल वाद के निर्णय तक जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी वाके ग्राम सेवनखेडी तहसील छबडा के खसरा नम्बर 24/11 रकबा 5.10 बीघा पर प्रार्थी के शान्तिपूर्वक कब्जे काश्त में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नही करें। ऐसा कृत्या ना तो स्वंय करे ओर ना ही अपने प्रतिनिधियों से करावें।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
छबडा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा